उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइटः hajcommittee.up.gov.in ; ई–मेल : hajcommittee.up@gmail.com

पत्रांक : जी–।।/1154/एस0एच0सी/2025 **दिनांक : 26.07.2025**

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा सर्कुलर–05 दिनांक 25.07.2025 जारी किया गया है जिसमें 65 वर्ष से अधिक के हज यात्रियों को हज गाइडलाइंस 2026 में दिये गये नियम जिसमें सहयोगी की आयु 60 वर्ष के भीतर होना आवश्यक था, में शिथिलता दी गयी है व ऐसे हज आवेदक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है व उनकी पत्नी व भाई–बहन यदि 65 वर्ष के भीतर हैं तो वह रिज़र्व श्रेणी में उनके सहयोगी के रुप में आवेदन कर सकते हैं।

यदि 65 वर्ष से अधिक के हज यात्री का सम्बन्ध सहयोगी से पति–पत्नी व भाई–बहन का नहीं है तो उनके लिए सहयोगी की आयु 60 वर्ष के भीतर ही रहेगी।

हज–2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in व हज सुविधा एप पर अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2025 (रात्रि 11:59 बजे तक) किये जा सकेंगे। इच्छुक हज आवेदक शीघ्र अपना आवेदन कर दें।

जिन इच्छुक हज आवेदकों के पासपोर्ट किन्हीं कारण से निर्गत नहीं हो सके हैं, उनकी सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 जून, 2025 व इस कार्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.07.2025 व 25.07.2025 के माध्यम से हज आवेदकों की सुविधार्थ पासपोर्ट शीघ्र निर्गत करने, हज आवेदकों के लिए ऑनलाइन अपाइंटमेंट स्लॉट आरक्षित करने तथा हज से सम्बन्धित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

26.7.25

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा0 सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त ई–सुविधा केन्द्र, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. समस्त प्रशिक्षक/ समस्त स्टेट हज इंस्पेक्टर–हज–2025, उ0प्र0।
9. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी